राजस्थान सरकार

न्यायालय भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला – भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प ....

आदेश :–

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .... व भू.अ.नि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .... तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में खाता संख्या 79 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें है:–

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	गंगाशपुरा	79	[illegible]	[illegible]

(रतनलाल रेगर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला – भीलवाडा

क्रमांक :–

प्रतिलिपि :–

दिनांक :– 19/5/17

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री .... को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेगर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला – भीलवाडा